# प्रेस नोट
## जनपद – सोनभद्र
## दिनांक – 30.03.2026

***सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ***#Operation Conviction*** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र) द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

**प्रकरण का विवरण:**

**थाना:** चोपन, जनपद सोनभद्र
**मु0अ0सं0:** 154/2022
**एस0टी0 नं0:** 725/2022
**धारा:** 302 भादवि0

**अभियुक्त:**

हीरालाल अगरिया पुत्र रामबली अगरिया
निवासी – डुड़ीदह वसुधा कोटा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र

**मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:**

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भादवि0 के अंतर्गत **आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

SONBHADRA POLICE

**सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:**

उक्त प्रकरण में **विवेचक निरीक्षक श्री लक्ष्मण पर्वत,** थाना चोपन पुलिस, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए दण्डित कराया गया।

**जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।**

SONBHADRA POLICE